

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1396 / 2013

संस्थापित दिनांक 11.11.2013

फाईलिंग नं.230303007162013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. बैजनाथ सिंह पुत्र उम्मेद सिंह गुर्जर
उम्र—40साल निवासी हवीपुरा गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 09 / 7 / 2014 को घोषित किया)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 440, 294, 323 तथा 506 भाग—1 के अपराध के आरोप हैं कि दिनांक 18/10/13 को समय 6:00 बजे शाम स्थान हवीपुरा में पशुओं को चराकर फसल का नुकसान कर रिष्टी कारित की व फरियादी को माँ बहन के अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया व लात घूसों से फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी का आरोपी के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी रमेशचन्द्र ने मय अपने साले मुरारीलाल के साथ पुलिस थाना गोहद में दिनांक 18/10/13 को 5:00 बजे उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि वह अपने खेत ग्राम हवीपुरा पर गया था तो खेत में बैजनाथ सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति गुर्जर निवासी हवीपुरा का अपनी भैंसों से उसके खेत में खड़ी ग्वार की फसल को चराकर नुकसान करा रहा था उसने मना किया तो उसका खेत का नुकसान क्यों करा रहा है इसी बात

पर से मादरचोद, बहनचोद गी बुरी-बुरी गालियाँ देने लगे उसक पकड़ लिया और गलेवान पकड़ कर उससे गाल में चाटा मारा व घूसा उसकी छाती में दिया जमीन पर नीचे गिर पड़ा फिर बोला कि मादर चोद तू यहां से भाग जा नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा लडाई झगडा होते समय उसके जेब में 07 हजाररूपये रखे थे वहा कहा गया पता नहीं । मौके पर महेश धोबी आ गया था ।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 181/13 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

5. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 440, 294, 323 तथा 506 भाग-1 के आरोपो की विवेचना की गई आरोपी ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा ।

6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 294, 323, तथा 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपी को भा.द.वि.की धारा 440 के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है ।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपी ने फरियादी की गुवार की फसल को भैसो से चराकर रिष्टी कारित की?

सकारण निष्कर्ष

8. रमशेचन्द्र आ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है इस साक्षी का कहना है कि आरोपीगण उसके गांव के निवासी है इसलिये सब को पहचानता है करीब 04 साल पहले आरोपीगण से उसका मुहवाद हो गया था उसका मुहवाद से गाय भैस के विवाद पर से हुआ था आरोपीगण उससे झगडा करने लगे इस संबंध में उसने रिपोर्ट की जो प्र0पी01 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है पुलिस ने नक्शा मौका तैयार किया जो प्र0पी02 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है साक्षी ने रिष्टी कर उपहति कारित किये जाने के संबंध में न्यायालीन अभिलेख पर कथन न दिये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करसूचक प्रश्नपूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने मृत्यु व उपहति का भय उत्पन्न कर रिष्टी कारित की थी साक्षी के कथनों से रिष्टी की जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है ।

9. मुरारीलाल आ0सा02 का कहना हैकि बैजनाथ व उसके बहनोई का मुहवाद हो गयाथा उस संबंध मे रमेश ने उसे पूरी बात बताई और मुहवाद और गाली गलोज की बात बताई थी आरोपी बैजनाथ द्वारा फसल के नुकसान करने वाली बात नहीं बताई थी साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने फरियादी रमेश की फसल भैसों से चराकर नुकसान कारित कर रिष्टी की है।

10. प्रकरण में फरियादी एवं आरोपी के मध्य हुये आपसी राजीनामा से यह विदित होता हैकि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है जिससे घटित घटना प्रमाणित नहीं होती है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।

11. प्रकरण में फरियादी रमेशचन्द्र द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है उस साक्षी द्वारा न्यायालीन अभिलेख पर कथन देते समय यह नहीं बताया हैकि आरोपीगण ने मृत्यु व उपहति का भय उत्पन्न कर भैसों से खड़ी फसल चराकर 50/-रूपये से अधिक का नुकसान कारित कर रिष्टी की है। रमेशचन्द्र घटना का अतिमहत्वपूर्ण साक्षी है जिसके कथनो से घटित अपराध प्रमाणित नहीं होता है उस स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित आरोप पूर्णतः अप्रमाणित कहे जा सकते है।

12. प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 440 के अपराध पूर्णतःअप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है अतःआरोपीगण को भा.द.वि.की धारा 440 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते है।

13. प्रकरण मे निराकरण हेतु मुददेमाल नही है।

14. प्रकरण मे धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

15. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव

दिनांकित कर घोषित किया गया

हस्ता0सही

जे0एम0एफ0सी0गोहद

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही

जे0एम0एफ0सी0गोहद

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1396 / 2013